दृष्टि The Vision

BPSC Series Book-4

बिहार, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

(बिहार PCS के विशेष संदर्भ सहित)

BPSC सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं
एसएससी, एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ
सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये संपूर्ण पुस्तक

बिहार PCS

प्रिलिम्स कोर्स

मोड : ऑनलाइन/पेन ड्राइव

कोर्स की विशेषताएँ

- देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
- कोर्स की वैधता 2 वर्षों तक तथा प्रत्येक वीडियो को 3 बार तक देखने की सुविधा।
- हर कक्षा के अंत में उस टॉपिक से संबंधित पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर चर्चा।
- वीडियो क्लिप्स और विज़ुअल्स की मदद से जटिल विषयों की रुचिकर प्रस्तुति।
- कोर्स के अनुसार तैयार की हुई पाठ्यसामग्री।

अधिक जानकारी के लिये 9311406440 नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

ऑनलाइन क्लास
के लिये इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

(प्रिलिम्स + मेन्स)

मोड : ऑनलाइन/पेन ड्राइव

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के निर्देशन में

कोर्स की विशेषताएँ

- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति तथा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा एथिक्स (संपूर्ण), राजव्यवस्था (व्यापक अंश) और समाज (सैद्धांतिक पक्ष) का अध्यापन।
- कुल 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ।
- प्रत्येक कक्षा को 3 बार तक देखने की सुविधा। कोर्स की वैधता बैच शुरू होने से 3 वर्षों तक।
- संशय निवारण के लिये एकेडमिक सपोर्ट टीम की सुविधा उपलब्ध। नियमित रूप से डाउट क्लासेज़ तथा ऑनलाइन मीटिंग्स की भी व्यवस्था।

एडमिशन प्रारंभ | पहले 500 विद्यार्थियों के लिये 25% की छूट

अतिरिक्त जानकारी के लिये
9311406442 नंबर पर कॉल करें
या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध !
लॉग-इन कीजिये :
www.drishtiIAS.com

ऑनलाइन क्लास के लिये
अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

BPSC Series : Book-4

बिहार, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : बिहार, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण- फरवरी 2021

मूल्य : ₹ 380

ISBN : 978-81-947225-5-7

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

अपनी स्थापना के समय से ही हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम आप पाठकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करा सकें। इसी संकल्प के साथ हम अपनी यात्रा में बढ़ते गए। हमें इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में आप पाठकों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ, जिससे हमें और आगे बढ़ने तथा नए प्रयोगों को आज़माने का हौसला मिला। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विद्यार्थी हमसे संवाद करते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं। हम इन संवाद पर गंभीरता से विचार करते हैं तथा हमारी कोशिश रहती है कि आपके अधिक से अधिक जायज़ सुझावों को मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए। इसी सिलसिले में लंबे समय से यह मांग हमारे पास आ रही थी कि हम 'बिहार संयुक्त (प्रारंभिक एवं मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा' (बीपीएससी) के लिये भी पुस्तकों का प्रकाशन करें। हमारी भी इस बात को लेकर सहमति थी कि विद्यार्थियों के बीच श्रेष्ठ कंटेंट उपलब्ध होना ही चाहिये। हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री के अपने संकल्प से किसी भी कीमत पर समझौता न करें, इसलिये इस प्रस्ताव पर हम लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन अनेक चरणों से गुज़रने के बाद जब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि ये पुस्तकें आपके संघर्ष को आसान करने में सक्षम हैं, तब हमने इनके प्रकाशन का निर्णय लिया।

अब, हम आपके समक्ष एक नई पुस्तक सीरीज़ के साथ उपस्थित हैं, जो न केवल 'बिहार संयुक्त (प्रारंभिक एवं मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा' को संपूर्णता से कवर करती है बल्कि यहाँ की अधीनस्थ/एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये भी समान रूप से उपयोगी है। यह कुल **आठ पुस्तकों** की एक सीरीज़ है, जिसकी चौथी कड़ी के रूप में **'बिहार, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था'** की पुस्तक अब आपके हाथों में है। विशिष्ट रूप से इस पुस्तक की चर्चा के पूर्व हम आपको संक्षेप में इस सीरीज़ की कुछ विशेषताओं से अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आप इसकी उपयोगिता और अपनी तैयारी में इसके महत्त्व का ठीक-ठीक अनुमान कर सकें।

यह सीरीज़ बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) को तो कवर करती ही है, साथ ही हमने इसमें उन अतिरिक्त तथ्यों एवं विषय-वस्तुओं को भी शामिल कर दिया है जो बीपीएससी के पाठ्यक्रम से सुसंगत हैं और बिहार की प्रमुख अधीनस्थ/एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इससे आपकी बिना अतिरिक्त मेहनत के अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी और बीपीएससी पर मुख्य फोकस भी बना रहेगा। इस सीरीज़ की प्रत्येक पुस्तक लगभग 400-600 पृष्ठों की है। प्रथमद्रष्टया आपको यह आकार बड़ा लग सकता है लेकिन ऐसा इसलिये है ताकि एक ही स्रोत से आपकी पूरी तैयारी हो सके। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस बात को महसूस कर पाएंगे।

अब, प्रस्तुत पुस्तक की बात करें तो यह भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है। विशेषज्ञों की हमारी टीम ने इस विषय से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण मानक पुस्तकों का अध्ययन कर आयोग की मांग के अनुरूप उसके सार को (बिहार के विशेष संदर्भ में) प्रस्तुत किया है। हमारी टीम ने अब तक पूछे गए प्रश्नों का भी गंभीरता से अवलोकन किया है तथा पाठ्य-सामग्री को इसी अनुरूप ढाला है। प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ भविष्य के लिये संभावित प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। इससे आपको न केवल परीक्षा की प्रकृति का अनुमान हो सकेगा बल्कि आप पढ़े हुए पाठ को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तथ्यों की सटीकता के लिये हमारी टीम ने कई चरणों में इसे जाँचा है तथा इस बात को सुनिश्चित किया है कि पुस्तक तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हो। भाषा और प्रस्तुतीकरण के स्तर पर भी हमारी कोशिश यही रही है कि संप्रेषण सहज और बोधगम्य हो।

अंत में यह कि अब यह पुस्तक आपके हाथों में है। इसके अंतिम निर्णयकर्त्ता भी आप ही हैं। आप इसे पढ़ें और अपनी राय हमें बताएँ। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। **आप अपनी राय हमें 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं।**

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-A: बिहार की अर्थव्यवस्था

1. बिहार अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन ..... 3 – 9
2. बिहार: कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र ..... 10 – 26
3. बिहार: औद्योगिक क्षेत्र ..... 27 – 32
4. बिहार : सामाजिक क्षेत्र ..... 33 – 43
5. बिहार सरकार की योजनाएँ ..... 44 – 55
6. बिहार बजट, 2020-21 : विश्लेषण ..... 56 – 65
7. बिहार आर्थिक समीक्षा, 2019-20 : विश्लेषण ..... 66 – 74

खंड-B: भारत की अर्थव्यवस्था

8. भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय ..... 3 – 21
9. राष्ट्रीय आय ..... 22 – 32
10. भारत में आर्थिक नियोजन ..... 33 – 61
11. समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी तथा खाद्य सुरक्षा ..... 62 – 89
12. कृषि क्षेत्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ..... 90 – 122
13. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र ..... 123 – 163
14. बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति ..... 164 – 214
15. राजकोषीय नीति एवं कर संरचना ..... 215 – 251
16. केंद्र सरकार की योजनाएँ ..... 252 – 284

खंड-C: विश्व की अर्थव्यवस्था

17. भारत का वैदेशिक क्षेत्र ..... 3 – 18
18. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते ..... 19 – 38

खंड A

बिहार की अर्थव्यवस्था

1 बिहार अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन
(Bihar Economy : An Overview)

परिचय (Introduction)

पिछले एक दशक में बिहार में आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण यह विकास न केवल मजबूत बल्कि समावेशी भी रहा है, जिससे विशेष रूप से गरीब परिवारों को लाभ हुआ है। पिछले तीन वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से तेज रही है और बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2018–19 में 10.5 प्रतिशत बढ़ा है। इस वृद्धि में तृतीयक क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही है जिसकी वृद्धि दर 13.3 प्रतिशत थी। विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दरों में भिन्नता रहने के कारण अर्थव्यवस्था में ढाँचागत परिवर्तन भी हुआ है– सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। हाल के वर्षों में बिहार में समग्र मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों से काफी नीचे रही हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का यह प्रदर्शन हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उच्च विकासमूलक व्यय के कारण संभव हो सका है।

वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद बिहार में गत दशक में लगातार सामाजिक–आर्थिक विकास दिखा है। राज्य में नीतियों का ज़ोर इस बात पर रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों के लाभ समाज में हर किसी तक पहुँचे। यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की उपलब्धियों से स्पष्ट है।

विकास प्रक्रिया को बल देने के लिये राज्य सरकार 'सात निश्चयों' पर काम कर रही है जिनमें युवाओं का कल्याण, महिलाओं का विकास, सभी घरों को बिजली की आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, सड़क संपर्क, शौचालय सुविधा, और उच्चतर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता शामिल हैं। उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के प्रयासों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 2019–20 में शुरू किये गए अपने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'जल जीवन हरियाली अभियान' के जरिये पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यह राज्य सरकार की ऐसी पहल है जिसमें दीर्घस्थायी विकास के अनुरूप नीति निर्माण को फोकस किया गया है। बिहार के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 2018–19 में 10.5 प्रतिशत थी जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। राज्य ने अपनी वित्तव्यवस्था का प्रबंध विवेकपूर्ण ढंग से किया है और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया है।

राज्य की सामाजिक–आर्थिक विवरणी
(Socio-Economic Profile of the State)

बिहार सघन आबादी वाला राज्य है। यहाँ 2011 में प्रति वर्ग किमी. में औसतन 1106 लोग रह रहे थे जो देश के औसत जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का लगभग तिगुना है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या घनत्व के और भी बढ़ने की आशा है। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी जबकि देश की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 2011 में राज्य में शहरीकरण मात्र 11.3 प्रतिशत था। हालाँकि राज्य के सतत् सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ अगली जनगणना में इन अनुपातों में सुधार होने की आशा है।

भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढाँचा (2001 और 2011)

		जनसंख्या (करोड़)			लिंग अनुपात	जन्मकालीन लिंग अनुपात 2013–15	जन्मकालीन लिंग अनुपात 2014–16	बाल लिंग अनुपात
		कुल	ग्रामीण	शहरी	(महिला प्रति हज़ार पुरुष)			
बिहार	2001	8.29	7.43	0.87	919	916	908	942
	2011	10.41	9.23	1.18	918			935
भारत	2001	102.87	74.25	28.61	933	900	898	927
	2011	121.06	83.37	37.71	943			919
		घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	शहरीकरण (%)	दशकीय वृद्धि (%)	प्रशासनिक ढाँचा			
					ज़िलों की संख्या	विकास प्रखंडों की संख्या	(वैधानिक/जनगणना) शहरों की संख्या	गाँवों की संख्या

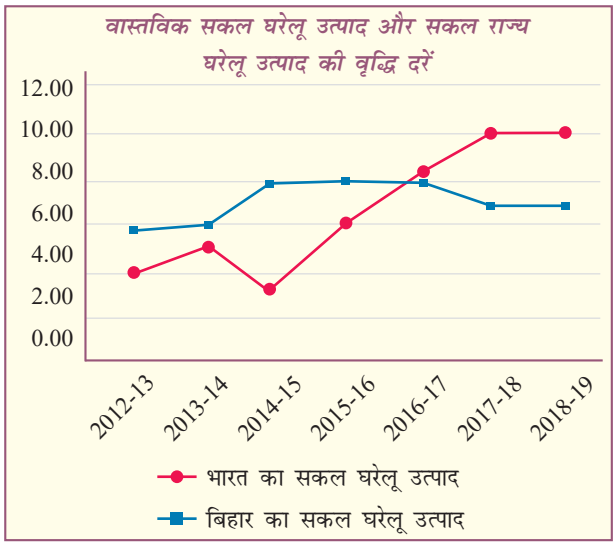

भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त त्वरित अनुमानों के अनुसार 2018–19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,57,490 करोड़ था। वहीं 2011–12 के स्थिर मूल्य पर 2018–19 में राज्य के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आँकड़ा ₹ 3,94,350 करोड़ था। इसी प्रकार, 2018–19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 5,13,881 करोड़ और स्थिर मूल्य पर ₹ 3,59,030 करोड़ था। फलतः 2018–19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 47,541 और स्थिर मूल्य पर ₹ 33,629 था।

बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2011–12 के ₹ 21,750 से बढ़कर 2018–19 में ₹ 30,617 हो गई। बहरहाल बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के राज्यों के बीच सबसे कम है और 2018–19 में यह राष्ट्रीय औसत (₹ 92,565) का मात्र 33.1 प्रतिशत थी। अतः राज्य को अपनी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिये अतिरिक्त आवेग की ज़रूरत है ताकि यह प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत के समकक्ष पहुँच सके।

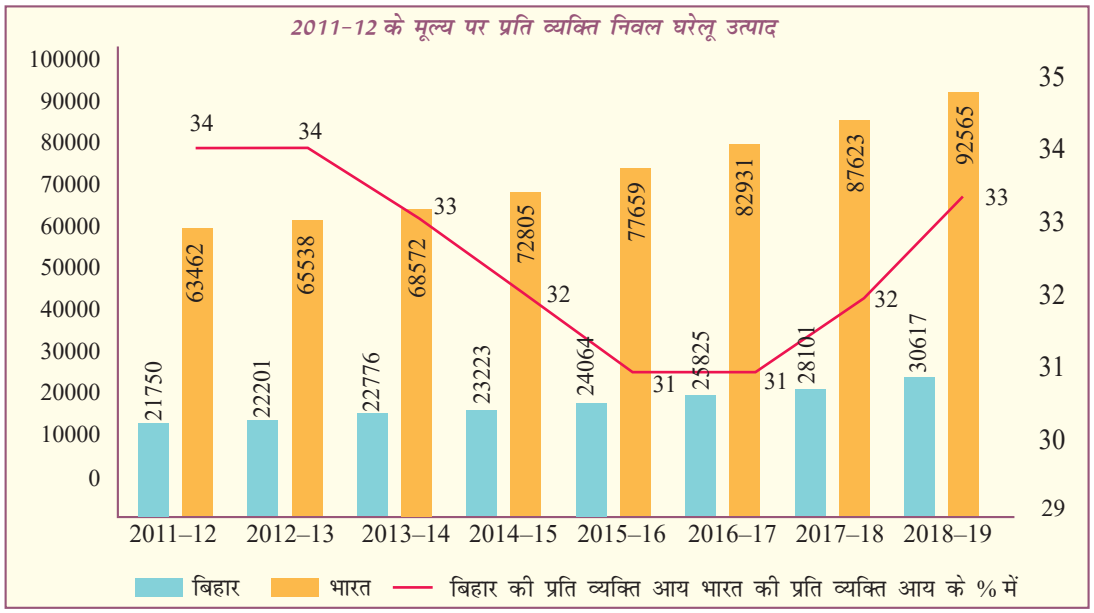

क्षेत्रवार विकास दर (Sectoral Growth Rate)

बिहार में पिछले दो वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर दो अंकों में होने का अनुमान था। राज्य में तेज वृद्धि का कारण मुख्यतः अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि है जिसकी दर 2017–18 में 13.10 प्रतिशत और 2018–19 में 13.30 प्रतिशत थी। उप–क्षेत्रों के बीच वायु परिवहन में 2018–19 में 36 प्रतिशत वृद्धि दिखी। इन दोनों वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र क्रमशः 4.73 प्रतिशत और 6.29 प्रतिशत की दर से बढ़े। प्राथमिक क्षेत्र में विकास का आवेग 2018–19 में कमज़ोर हो गया और वृद्धि दर मात्र 0.63 प्रतिशत रही। कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र की मुख्य घटक हैं और राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। लेकिन 2018–19 में कृषि में अनुमानित वृद्धि दर 2017–18 के 4.88 प्रतिशत से घटकर नकारात्मक (–3.87 प्रतिशत) हो गई। वहीं, 2018–19 में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण 3.02 प्रतिशत की दर से बढ़ा और निर्माण 9.44 प्रतिशत की दर से। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के कारण हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में विकास की अप्रयुक्त संभावनाओं के उपयोग से राज्य को आने वाले वर्षों में अधिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

बिहार अर्थव्यवस्था की ढ़ाँचागत संरचना (Structural Composition of the Bihar Economy)

सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 से 2018–19 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना बदली है। ऐसा मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तृतीयक क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने के कारण हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2011–12 के 25.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.7 प्रतिशत रह गया जबकि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो गया। वहीं, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2011–12 में 18.8 प्रतिशत था जो बहुत मामूली बढ़कर 2018–19 में 19.1 प्रतिशत हो गया।

- फसल और पशुधन राज्य में प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य योगदाता हैं। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन का हिस्सा 5.6 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रहा है जबकि फसलों का हिस्सा 18.9 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रह गया है। इसके कारण पूरे प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है जो 27.1 प्रतिशत से घटकर 19.7 प्रतिशत रह गया है।
- द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं। इनका 2018–19 में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था जो गत पाँच वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है।

मूल मूल्यों पर 2017-18 के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में क्षेत्रों का प्रतिशत में योगदान

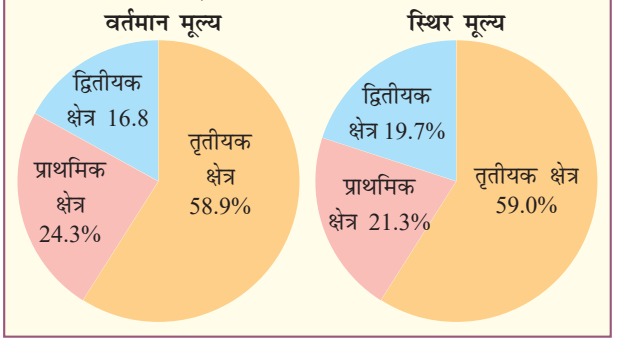

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ (18.2 प्रतिशत), स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ (9.1 प्रतिशत), पथ परिवहन (5.4 प्रतिशत), और वित्तीय सेवाएँ (4.3 प्रतिशत) हैं। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं को छोड़कर इन सारे घटकों का हिस्सा 2012–13 से 2018–19 के बीच बढ़ा है।

स्थिर (2011–12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2012–13 से 2018–19)

क्र.सं.	क्षेत्र	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (अनंतिम)	2018–19 (त्वरित)
1	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	27.0	22.8	22.0	21.2	21.6	21.0	19.3
1.1	फसल	18.9	14.2	13.1	12.3	12.7	12.1	10.6
1.2	पशुधन	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	1.7	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7	1.6
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3
प्राथमिक		**27.1**	**23.4**	**22.2**	**21.9**	**22.0**	**21.3**	**19.7**
3	विनिर्माण	3.9	7.2	9.6	8.2	9.4	8.7	8.2
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
5	निर्माण	10.2	10.5	9.7	10.0	9.7	9.5	9.5
द्वितीयक		**15.6**	**19.3**	**20.9**	**19.7**	**20.6**	**19.7**	**19.1**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	18.6	17.5	15.8	17.6	17.8	17.9	19.2
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ	17.5	16.4	14.8	16.6	16.8	16.9	18.2
6.2	होटल एवं जलपान गृह	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9

- सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन का हिस्सा 5.6 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रहा है जबकि फसलों का हिस्सा 18.9 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रह गया है। इसके कारण पूरे प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है जो 27.1 प्रतिशत से घटकर 19.7 प्रतिशत रह गया है
- द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं। इनका 2018–19 में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था जो गत पाँच वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ (18.2 प्रतिशत), स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ (9.1 प्रतिशत), पथ परिवहन (5.4 प्रतिशत), और वित्तीय सेवाएँ (4.3 प्रतिशत) हैं।

बिहार पीसीएस (BPSC) तथा अधीनस्थ सेवाओं में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न

1. बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था–
   (a) राष्ट्रीय औसत का 75 प्रतिशत
   (b) राष्ट्रीय औसत का 60 प्रतिशत
   (c) राष्ट्रीय औसत का 50 प्रतिशत
   (d) राष्ट्रीय औसत का 33 प्रतिशत
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
   66th BPSC (Pre.)
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी–
   (a) 20.0 प्रतिशत (b) 10.5 प्रतिशत
   (c) 15.5 प्रतिशत (d) 4.5 प्रतिशत
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
3. तेंदुलकर समिति की प्रविधि का उपयोग करने पर बिहार में गरीबी अनुपात है–
   (a) 33.7 प्रतिशत (b) 42.7 प्रतिशत
   (c) 27.5 प्रतिशत (d) 37.5 प्रतिशत
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
4. जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) कितना था?
   (a) 1080 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
   (b) 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
   (c) 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
   (d) 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
5. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी?
   (a) 13.30 प्रतिशत (b) 17.50 प्रतिशत
   (c) 20.00 प्रतिशत (d) 12.50 प्रतिशत

उत्तरमाला

1. (d) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (a)

बिहार पीसीएस (BPSC) मुख्य परीक्षा में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न

1. बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
   65th BPSC (Mains), 2019
2. बिहार की अर्थव्यवस्था की ढाँचागत संरचना का विश्लेषण कीजिये।
3. बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की चर्चा कीजिये।

2 बिहार : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र
(Bihar : Agriculture and Allied Sector)

परिचय (Introduction)

कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिये मुख्य सहारा है जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोज़गार और ग्रामीण विकास को सहारा देती है। यह तीन–चौथाई से भी अधिक आबादी को सहारा देती है। रोज़गार पैदा कराने के अलावा, यह उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराती है, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करती है और गरीबी निवारण में सहायता करती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 2017–18 में लगभग 20 प्रतिशत था। कुल सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018–19 में 10.64 प्रतिशत था। सीमित भूमि संसाधन, टुकड़ों में बँटी जोतों, और अनियमित वर्षापात के बावजूद राज्य में फसलों और बागबानी का उत्पादन संबंधी प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है। वर्ष 2018–19 में बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन 163.12 लाख टन था। बिहार में 2018–19 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन, मछली पालन और जलकृषि का संयुक्त योगदान लगभग 7.10 पतिशत था। फसल उत्पादन, कृषि निवेशों, लागत सामग्रियों तथा मशीनों की खरीद के लिये वित्तीय संसाधनों की मांग बढ़ती रही है। सिंचाई के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ से संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी विकास की परियोजनाओं को शामिल करने के लिये कृषि विभाग और सहवर्ती क्षेत्रों को तृतीय कृषि रोडमैप, 2017–22 के लिये कुल ₹ 1.54 लाख करोड़ आबंटित किये गए हैं। किसान समुदाय को जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार जलवायु के झटके झेलने में सक्षम कृषि को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता देने और आधुनिक लागत सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये अनेक योजनाएँ चला रही है।

कृषि (Agriculture)

बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियाँ कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं क्योंकि खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा से इनका मज़बूत संबंध है। यह क्षेत्र खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ही नहीं बढ़ाता है, रोज़गार के अवसर भी पैदा करता है, जीविका के अवसरों में भी सुधार लाता है और गरीबी निवारण भी करता है। विगत दो दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था में ढाँचागत बदलाव आया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना में कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने से स्पष्ट होता है। तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सापेक्ष हिस्सा 2000–01 के 35.8 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 19.7 प्रतिशत रह गया, ऐसा तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ हालाँकि इसका महत्त्व इस बात में निहित है कि राज्य की 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी है। वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संसाधन झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए। अत: सक्षम कृषि व्यवस्था बिहार में समग्र आर्थिक विकास की विकासमूलक रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन जाती है। कृषि क्षेत्र में उच्च और टिकाऊ विकास हासिल करना खेती में और खेती के बाद रोज़गार के अवसर पैदा करने तथा आमदनी, खासकर गरीबों की आमदनी बढ़ाने, दोनों के लिहाज़ से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

समुद्रतट–विहीन राज्य बिहार में देश की लगभग 8.6 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि यहाँ देश का 3.8 प्रतिशत कृषि–भूमि ही मौजूद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक– 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जबकि देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही है। कुल मिलाकर बढ़ती आबादी, सीमित कृषि–भूमि, टुकड़ों में बँटी जोतें, लागत सामग्रियों की ऊँची लागत, अनियमित वर्षा, बाढ़ और भूमि का क्षरण बिहार में कृषि क्षेत्र के लिये गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

कृषि की संभावना को साकार करने के लिये राज्य सरकार ने कृषि रोडमैप के तहत राज्य में फसलों, पशुधन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। राज्य सरकार के कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज़ से लाभप्रद और टिकाऊ खेती की उपलब्धि के लिये सक्षमकारी वातावरण निर्मित करना है। कृषक समुदाय के लिये जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज़ से पर्यावरण के झटके झेलने में सक्षम कृषि व्यवहारों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता उपलब्ध कराने और आधुनिक लागत सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान 2013–14 के 22.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018–19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में सर्वाधिक 10.6 प्रतिशत योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम 1.5 प्रतिशत मत्स्याखेट एवं जलकृषि क्षेत्र का। पशुधन क्षेत्र बिहार में एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के बतौर उभर रहा है, जो राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में इसके बढ़ते योगदान– 2013–14 के 5.4 प्रतिशत से 2018–19 में 5.6 प्रतिशत से स्पष्ट है। सकल राजकीय मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018–19 में 10.6 प्रतिशत था लेकिन 2013–14 के 14.2 प्रतिशत से यह 3.6 प्रतिशत अंक घट गया है। वर्ष 2018–19 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वन एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.6 प्रतिशत था। गत छ: वर्षों के दौरान राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र के योगदान के रुझान का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि राज्य में कृषि क्षेत्र को आगे लाने के लिये फसल, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

3 बिहार: औद्योगिक क्षेत्र (Bihar: Industrial Sector)

परिचय (Introduction)

प्रचुर भौतिक और मानव संसाधनों वाले राज्य बिहार में औद्योगीकरण की जबर्दस्त संभावना है। राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगीकरण के लिये अनेक रणनीतियाँ अपनाई हैं। कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति को देखते हुए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ हैं। अनौपचारिक उद्यमों के आधिकारिक आँकड़े दर्शाते हैं कि कामकाजी उम्र वाले लोगों का बड़ा हिस्सा छोटे स्तर पर उत्पादन के कार्यों में लगा है। अनौपचारिक उद्यमों ने राज्य में पूंजी निर्माण और रोज़गार पैदा करने में काफी योगदान दिया है। बड़े कृषि आधारित उद्योगों में डेयरी और चीनी उद्योगों ने खास तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) ने अनेक सुधारों के जरिये बिहार में औद्योगीकरण में सहायता की है।

औद्योगीकरण विकास को बढ़ावा देने और देशों के बीच तथा किसी देश के क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने का एक सशक्त प्रेरक है। काफी पहले बिहार कृषि अर्थव्यवस्था में अधिशेष आबादी के होने से पीड़ित था और बढ़ती आबादी राज्य के अंदर और बाहर शहरी केंद्रों की ओर प्रवास कर रही थी। यह भी मानना होगा कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम का खपत संबंधी मांग पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ पाई है। इस समस्या का टिकाऊ समाधान तेज औद्योगीकरण है। कामकाजी आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए बिहार को इस तरह के औद्योगीकरण की ज़रूरत है, जो मुख्यत: श्रम-प्रधान हो और साथ ही कृषीतर अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार करके राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर पूंजी निर्माण करे।

बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच कम संबंध रहा है। इसका अर्थ हुआ कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास में द्वितीयक क्षेत्र के विकास में उतार-चढ़ाव का बहुत कम योगदान रहता है। द्वितीयक क्षेत्र के उप-क्षेत्रों के विकास पथ पिछले पाँच वर्षों में अस्थिर रहे हैं। हालाँकि द्वितीयक क्षेत्र के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रेरक विनिर्माण क्षेत्र रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में हासिल समग्र वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन की बहुत मज़बूत भूमिका रही है। हाल के वर्षों में बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ उपलब्ध कराने में राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि द्वितीयक क्षेत्र के अन्य उप-क्षेत्रों के विपरीत इस उप-क्षेत्र की वृद्धि दर हाल के वर्षों में लगातार धनात्मक रही है और कुछ वर्षों में तो सराहनीय ढंग से ऊँची रही है।

बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें (2016-17 से 2018-19)

क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र					सकल राज्य घरेलू उत्पाद
	खनन एवं उत्खनन	विनिर्माण	बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगो सेवाएँ	निर्माण	योगफल	
2016–17	–24.6	25.6	8.3	6.0	13.1	8.9
2017–18	–12.0	1.3	12.0	7.0	4.4	10.5
2018–19	2.7	3.0	5.3	9.4	6.2	10.5

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

भारत एवं बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2011-12 से 2017-18)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिहार	18.8	15.7	19.8	21.1	20.3	21.1	20.0
भारत	32.5	31.8	31.2	31.1	31.6	31.5	31.2

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

राज्यों के सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की तुलना करने पर दिखता है कि देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में इसका योगदान सबसे कम था। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2017–18 में महज 20.0 प्रतिशत था, जो संपूर्ण भारत के औसत से 11.2 प्रतिशत अंक कम है। यह झारखंड (37.1 प्रतिशत), छतीसगढ़ (48.0 प्रतिशत) और उड़ीसा (42.1 प्रतिशत) जैसे राज्यों से भी काफी कम था। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का कम हिस्सा तृतीयक क्षेत्र को

4 बिहार : सामाजिक क्षेत्र (Bihar : Social Sector)

परिचय (Introduction)

बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में सात निश्चय की शुरुआत की गई है जो कई नीतिगत योजनाओं का समागम है। इसके माध्यम से सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, हर घर बिजली, नल का जल एवं शौचालय का निर्माण, गाँव में पक्की नाली-गली का निर्माण तथा टोलों को संपर्ककर्त्ता प्रदान कर राज्य की आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास की दिशा में एक बड़े स्तर की पहल की है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों की आपूर्ति पक्ष को मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक ज़िले में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा-मेडिकल संस्था, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय तथा प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को उच्च शिक्षा का लाभ प्रदान करने के लिये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित है।

शिक्षा (Education)

किसी समाज में शिक्षा प्राप्ति सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली तीन मुख्य स्तरों में विभाजित है। जैसे- प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। यही प्रणाली बिहार के शिक्षा व्यवस्था में भी लागू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के हिस्से हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शामिल है। शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के तहत ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दो उप-श्रेणियों में विभाजित हैं- प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)। माध्यमिक शिक्षा भी दो स्तरों में विभाजित है, जैसे- माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12)। उच्च शिक्षा का अंतिम चरण भी दो धाराओं में विभाजित है- अकादमिक धारा एवं व्यावसायिक धारा।

साक्षरता दर *(Literacy Rate)*

बिहार राज्य ने गत दशक में साक्षरता दर के मामले में काफी सुधार किया है, जो 2001 के 47 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई है। यह एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि केवल 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, बल्कि 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। बिहार में जहाँ पुरुष साक्षरता दर 71.20 प्रतिशत है तो वहीं महिला साक्षरता दर 51.50 प्रतिशत है।

प्रारंभिक शिक्षा *(Primary Education)*

बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिये प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र को ही सर्वाधिक महत्त्व हासिल है, क्योंकि यही क्षेत्र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को भेजता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के वंचित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिये यह अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के दो महत्त्वपूर्ण सूचकांक हैं उच्च नामांकन अनुपात और निम्न ड्रॉपआउट (छीजन) दर। इन दोनों सूचकांकों पर अधिकांशतः विद्यालयों, शिक्षकों आदि शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है। बिहार में यह खास तौर पर सच है जहाँ अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी शैक्षिक ज़रूरतों के लिये सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं।

नामांकन अनुपात *(Enrollment Ratio)*

2012–13 से 2017–18 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत थी। 2012–13 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 154.51 लाख था जो 2017–18 में बढ़कर 160.08 लाख हो गया। वही उच्च प्राथमिक स्तर पर 2012–13 के 60.36 लाख की तुलना कुल नामांकन 2017–18 में 75.76 लाख हो गया जो 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

ड्रॉपआउट दर (विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं होने की दर) *Dropout Rate (Rate of Non-Completion of School Education)*

बिहार में शिक्षा के उच्च स्तरों पर पहुँचते-पहुँचते अच्छी खासी ड्रॉपआउट दरें दिखती हैं। ड्रॉपआउट की समस्या शिक्षा के सभी चरणों में व्याप्त है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले अनेक बच्चे गरीबी, माता-पिता के कम शैक्षिक स्तर, परिवार की कमज़ोर संरचना आदि अनेक कारणों से माध्यमिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं। बिहार में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2012–13 में 31.7 प्रतिशत थी जो 2017–18 में 16.2 प्रतिशत रह गई।

विद्यालयों की संख्या *(Number of Schools)*

वर्ष 2017–18 में बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2011–12 के 41,170 से बढ़कर 74,006 हो गई है। 2017–18 में विद्यालयों की संख्या की लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले ज़िले पूर्वी चंपारण (3852), पटना (3366), मुजफ्फरपुर (3359) थे। दूसरी ओर विद्यालयों की सबसे कम संख्या वाले तीन ज़िले शिवहर (434), अरवल (526), शेखपुरा (581) थे।

5 बिहार सरकार की योजनाएँ (Schemes of Bihar Government)

बिहार सरकार की योजनाएँ (Schemes of Bihar Government)

कोई भी राज्य चाहे वह विकसित हो या विकासशील वह किसी-न-किसी मूलभूत समस्याओं से घिरा रहता है। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो हमेशा बनी रहती हैं, जैसे- स्वास्थ्य की समस्या, वृद्धजनों की समस्या, बच्चों एवं महिलाओं की समस्या, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। इसके अलावा सड़कों का रखरखाव, नई सड़कों का निर्माण, पुल-पुलियों का निर्माण, कृषि क्षेत्र, बिजली, पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था। इन कार्यों को अनवरत् चलाने के लिये राज्य सरकार बड़े स्तर पर योजनाओं का निर्माण करती है और उन्हें लागू करती है। जैसा कि हमें पता है कि सतत् विकास जीवन का नियम है और इसी सूत्र को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी राष्ट्र अथवा राज्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश करता है। सतत् तथा समावेशी विकास प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य में व्याप्त गरीबी, बेरोज़गारी तथा स्वास्थ्य समस्याओं जैसे दुष्चक्र पर काबू पाया जाए एवं अन्य कमियों को भी दूर किया जाए। बिहार भी इन समस्याओं एवं कमियों से अछूता नहीं है, फलस्वरूप बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इन कमियों से निजात पाने की कोशिश करती रही है तथा कुछ ऐसे भी कार्यक्रम चला रही है जिससे विकास को रफ्तार मिले। विकसित बिहार के सात निश्चय सूत्र इन्हीं में से एक है। बिहार में चल रही विभिन्न नई-पुरानी योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-

सात निश्चय योजना *(Saat Nishchay Yojana)*

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में विकसित बिहार के लिये 7 निश्चय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बिहार को तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 निश्चय चयनित किये गए हैं एवं सभी निश्चयों को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिये विशेष टीम बनाई गई है, ये सात निश्चय हैं-

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल
2. आरक्षित रोज़गार, महिलाओं का अधिकार
3. हर घर बिजली
4. हर घर नल का जल
5. घर तक, पक्की गली-नालियाँ
6. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
7. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल

इसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-

- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
- कुशल युवा कार्यक्रम
- बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016
- सभी सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा

2. आरक्षित रोज़गार, महिलाओं का अधिकार

- इसके तहत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं की नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- इसका कार्यान्वयन फरवरी 2016 से हो चुका है।

3. हर घर बिजली

- इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के हर घर में विद्युत संपर्कता उपलब्ध कराना है।
- इसके लिये राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई है जिसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को मीटर के साथ विद्युत संबंध उपलब्ध करा रही है।
- इस निश्चय के तहत दिसंबर 2017 तक राज्य के सभी गाँवों तथा दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।

4. हर घर नल का जल

- इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के सभी घर में पाईप के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। इस निश्चय को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं-
  - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
  - मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना
  - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना
  - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

5. घर तक, पक्की गली-नालियाँ

- इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य की सभी संपर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़े जाने तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली-नाली के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाली 4643 बसावटों को वर्ष 2019-20 तक संपर्कता प्रदान किया जाएगा।

6 बिहार बजट, 2020–21 : विश्लेषण (Bihar Budget, 2020–21 : Analysis)

बिहार बजट 2020–21 के प्रमुख बिंदु (Key Points of Bihar Budget 2020–21)

राज्य वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का बिहार राज्य बजट पेश किया। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा ग्रीन बजट पेश किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का विवरण है। देश में पहली बार बिहार में ग्रीन बजट की पुस्तिका सदन में प्रस्तुत की गई।

राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान ग्रीन बजट का एक महत्त्वपूर्ण अंश है। इसके द्वारा राज्य के पारिस्थितिकीय तंत्र को पुनर्जीवित और संरक्षित किया जा सकेगा।

जल-जीवन-हरियाली के साथ-साथ शराबबंदी, तिलक-दहेज, बाल-विवाह जैसी सामाजिक मुद्दों पर जागृति हेतु 19 जनवरी, 2020 को 18,034 किमी. की विश्व की सबसे लंबी मानव शृंखला बनाई गई, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।

जहाँ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितता तथा आर्थिक सुस्ती (Slowdown) के दौर में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3% से नीचे (IMF का पूर्वानुमान) रहने की संभावना है और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019 में भारत की विकास दर के अनुमान से काफी नीचे रहने की संभावना है। वहीं इस आर्थिक सुस्ती के माहौल के बावजूद बिहार ने वर्ष 2018 में स्थिर मूल्यों पर 10.53% की विकास दर व वर्तमान मूल्यों पर 15.01% की विकास दर हासिल की है। स्थिर मूल्य (2011-12) पर वर्ष 2018-19 का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान ₹30,617 है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 9% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2004-2005 में ₹ 23,885 करोड़ था जो वर्ष 2019-20 में 8 गुणा से अधिक बढ़कर ₹ 2,00,501 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में बढ़कर ₹ 2,11,761 करोड़ हो गया है।
- वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 के दौरान योजना व्यय ₹ 5,51,029 करोड़ है एवं गैर-योजना या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ₹ 5,31,236 करोड़ है, यानि योजना व्यय, गैर योजना व्यय से ज्यादा हो गया है।
- वर्ष 2005-06 में योजना व्यय (Plan Expenditure) कुल व्यय का 21.71 प्रतिशत था एवं गैर योजना व्यय (Non Plan Expenditure) 78.29 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 में यह योजना व्यय या स्कीम व्यय बढ़कर 49.95 प्रतिशत तथा गैर-योजना व्यय या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मात्र 50.05 प्रतिशत रह गया है।
- वर्ष 2020-21 में कुल पूंजीगत व्यय ₹ 47,010.30 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 22.20 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा ₹1,230.44 करोड़ का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यत: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु ₹900.00 करोड़, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये ₹196.00 करोड़, बिजली परियोजना के कंपनियों को कर्ज के लिये ₹98.93 करोड़ एवं सरकारी कर्मचारियों के लिये ₹35.50 करोड़ दिया जाना है।
- वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व व्यय ₹1,64,751.19 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 77.80 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹1,83,923.99 करोड़ अनुमानित है जो कि वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान ₹1,76,747.64 करोड़ से ₹7,176.35 करोड़ अधिक है।
- छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में स्थानीय निकायों को ₹3,751.74 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 70 प्रतिशत राशि पंचायत निकायों को तथा 30 प्रतिशत राशि शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाना प्रस्तावित है।
- बिहार राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2012-13 के ₹5,101.00 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 में ₹6,896.64 करोड़ रहा है। वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष ₹21,516.99 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में ₹19,172.80 करोड़ है जो बिहार राज्य के इतिहास में अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगा।
- वर्ष 2020-21 में ₹20,374.00 करोड़ राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12 पर) ₹6,85,797.00 करोड़ का 2.97 प्रतिशत है।
- वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2018-19 में कुल बकाया ऋण ₹1,68,921.33 करोड़ है जो राज्य के GSDP का 32.76 प्रतिशत है।
- राज्य सरकार वर्ष 2020-21 में शिक्षा पर ₹35,191.05 करोड़ व्यय करेगी। राज्य की सड़कों पर ₹17,345.00 करोड़, ग्रामीण विकास पर ₹15,955.29 करोड़, पंचायतीराज पर ₹10,615.21 करोड़ एवं नगर विकास एवं आवास पर ₹7,213.72 करोड़ का व्यय अनुमानित है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ₹10,937.68 करोड़ तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमज़ोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में ₹11,911.38 करोड़ का बजटीय प्रावधान है।

कृषि विभाग *(Agriculture Department))*

- गेंहूँ एवं मक्का के उत्पादन तथा उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिये भारत सरकार द्वारा 02 जनवरी, 2020 को राज्य

7 बिहार आर्थिक समीक्षा, 2019–20 : विश्लेषण
(Bihar Economic Survey, 2019–20 : Analysis)

बिहार अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन
(Bihar Economy: An Overview)

- वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद बिहार में गत दशक में लगातार सामाजिक–आर्थिक विकास दिखा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर नई शृंखला के आँकड़ों के अनुसार 2018–19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 15.01 प्रतिशत थी जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,57,490 करोड़ और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर ₹ 3,94,350 करोड़ था। वहीं, 2018–19 में राज्य में निवल राज्य घरेल उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 5,13,881 करोड़ और स्थिर मूल्य पर ₹ 3,59,030 करोड़ था। फलत: 2018–19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 47,541 और स्थिर मूल्य पर ₹ 33,629 था।
- सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश: 21.3 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं जिनका 2018–19 में क्रमश: 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था और गत पाँच वर्षों में ये हिस्से लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच समग्र द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है। तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ (18.2 प्रतिशत) और स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ (9.1 प्रतिशत) थे। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2012–13 से 2018–19 के बीच बढ़ा है।

राजकीय वित्तव्यवस्था (State Finances)

- वर्ष 2018–19 में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशत और राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.34 प्रतिशत के बराबर थी।
- अपने संसाधनों से सीमित राजस्व प्राप्ति को देखते हुए राज्य सरकार संसाधनों के लिये केंद्रीय अंतरणों और अनुदानों पर काफी निर्भर रही है। ये अंतरण अधिकांशत: वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार होते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिये अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी अनुशंसा के अनुसार 2020–21 के लिये कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गया है।
- राजकोषीय प्रबंधन की प्रभाविता में सुधार के प्रयास में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 को व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) की शुरुआत की जिससे राज्य में सारी वित्तीय गतिविधियाँ ऑनलाइन और कागजरहित हो जाएगी। वर्ष 2018–19 में एक और विकास यह हुआ है कि राज्य सरकार ने सारे विभागों के लिये जेम पोर्टल से खरीद करना अनिवार्य बना दिया है।
- वर्ष 2018–19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 1,31,793 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति ₹ 20,494 करोड़ थी। वहीं राज्य में राजस्व व्यय ₹ 1,24,897 करोड़ और कुल व्यय ₹ 1,54,655 करोड़ था। वर्ष 2018–19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, इस अवधि में पूंजीगत प्राप्ति 12.0 प्रतिशत घटकर ₹ 29,759 करोड़ रह गई।
- वर्ष 2018–19 में कर राजस्वों से प्राप्ति ₹ 14,791 करोड़ बढ़कर ₹ 103,011 करोड़ हो गई जो गत वर्ष की अपेक्षा 16.8 प्रतिशत अधिक है। वहीं 2018–19 में करेतर राजस्व ₹ 4131 करोड़ था जो गत वर्ष से 17.8 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान एवं अंशदान के तहत प्राप्ति घटकर 2018–19 में ₹ 24,652 करोड़ रह गई। वर्ष 2018–19 में राज्य द्वारा संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर ₹ 17,861 करोड़ था। राज्य के लिये वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहित कुल राजस्व में समेकित वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा था।
- कुल व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय का हिस्सा 2017–18 के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 80.8 प्रतिशत हो गया। फलत: पूंजीगत लेखे का व्यय 2017–18 के 24.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.2 प्रतिशत रह गया। ₹ 1,54,655 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1,07,737 करोड़ (69.7 प्रतिशत) विकासमूलक व्यय था। राज्य सरकार का वेतन और पेंशन पर व्यय 2018–19 में गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ा और ₹ 35,996 करोड़ पहुँच गया।
- वर्ष 2018–19 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमश: ₹ 38,691 करोड़, ₹ 58,284 करोड़ और ₹ 27,918 करोड़ था। इन शीर्षों के तहत गत वर्ष की अपेक्षा क्रमश: 15.9 प्रतिशत, 27.3 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत वृद्धि दिखी।
- वर्ष 2018–19 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जबकि आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के हिस्सों में एक–एक प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। वर्ष 2018–19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 58,284 करोड़ हो गया। वर्ष

खंड B

भारत की अर्थव्यवस्था

8 भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय (Indian Economy : General Introduction)

अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण *(Classification of Economics)*

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र को 'सूक्ष्म अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाज़ार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यथा- उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे- मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

- **उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत:** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।
- **उत्पादक व्यवहार सिद्धांत:** इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके।
- **कीमत सिद्धांत:** 'कीमत सिद्धांत' व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

समष्टि अर्थशास्त्र को 'वृहद् अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे- राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोज़गार और संवृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है।

9 राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ (Various Concepts Related to National Income)

बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद *(Gross Domestic Product at Market Price–GDP_{MP})*

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर-निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाज़ार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्द्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

- भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- यहाँ देश की घरेलू अर्थात् आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जलक्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंत:क्षेत्र, जैसे-दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।
- केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, एक किसान द्वारा ₹1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है एवं इसके धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर ₹3000 में बेच दिया जाता है एवं अंत में एक रेडीमेट शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है।

बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product at Market Price–GNP_{MP})*

बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाज़ार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्द्धन का योग है या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

GDP_{MP} तथा GNP_{MP} में अंतर

- एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर-निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) कहते हैं।
- $GNP_{MP} = GDP_{MP}$ + विदेशों से प्राप्त निवल आय
- विदेशों से प्राप्त निवल आय = देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय – गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद *(Net Domestic Product at Market Price–NDP_{MP})*

जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब हम बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है।

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) – मूल्य ह्रास

बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद *(Net National Product at Market Price–NNP_{MP})*

बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर किये गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है एवं विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। इस अंतिम उत्पाद में मूल्य ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है।

- बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) – मूल्य ह्रास
- बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) + विदेशों से प्राप्त निवल आय
- विदेशों से प्राप्त निवल आय = भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय- विदेशी नागरिकों द्वारा भारत मे अर्जित आय

10 भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची) का विषय बनाया गया है।

नियोजन के उद्देश्य *(Objectives of Planning)*

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना;
- निर्धनता एवं बेरोज़गारी को दूर करना;
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना;
- कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना;
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना;
- आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण;
- निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना;
- तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी विकास पर बल।

नियोजन के प्रकार *(Types of Planning)*

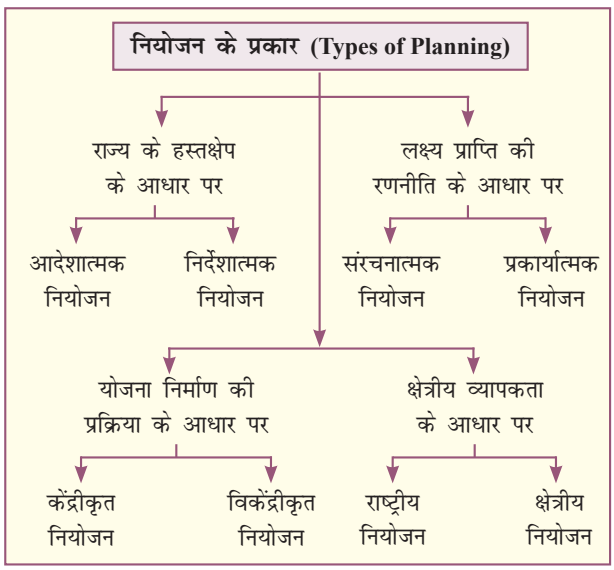

राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर (On the Basis of State Intervention)

आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिये इसे 'केंद्रीकृत नियोजन' भी कहा जाता है।

निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है।

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर (On the Basis of Strategies for Achieving Targets)

संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह 'संरचनात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

प्रकार्यात्मक नियोजन (Functional Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधन, स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह 'प्रकार्यात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर (Based on the Process of Planning)

केंद्रीकृत नियोजन (Centralised Planning)

केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे 'ऊपर से नीचे की ओर नियोजन' भी कहते हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)

विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसे 'नीचे से ऊपर की ओर नियोजन' भी कहते हैं। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मज़बूती मिलती है।

11 समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी तथा खाद्य सुरक्षा
(Inclusive Development, Poverty, Unemployment and Food Security)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ समावेशी विकास अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं सामाजिक समावेशन समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

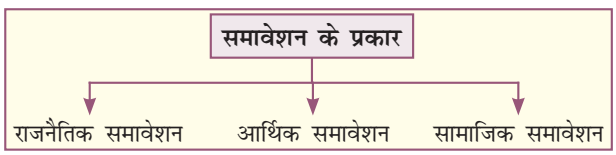

समावेशी विकास (Inclusive Develoment)

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण तथा अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता आदि है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important Components to Establish Inclusive Development)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के बेरोज़गारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों, निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण।
- वित्तीय समावेशन की गति को तीव्र करना।

समावेशी संवृद्धि *(Inclusive Growth)*

समावेशी संवृद्धि का अभिप्राय आर्थिक संवृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में समावेशी संवृद्धि को लेकर एक स्पष्ट रणनीति, सरकार द्वारा पेश की गई। इसके अंतर्गत वंचित समूहों विशेष रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं को विकास और संवृद्धि की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 'तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास' था। इस कारण समावेशी संवृद्धि विषय को इस योजना में और अधिक महत्त्व मिला।

सरकार द्वारा समय-समय पर समावेशी संवृद्धि के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई गईं। अल्पकालिक नीतियों में सरकार द्वारा खाद्य और पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेयजल तथा शिक्षा संबंधी नीतियाँ सम्मिलित की गईं, परंतु इन अल्पकालिक योजनाओं से सरकार पर धन का भारी बोझ पड़ा, जिस कारण लक्षित समूहों के आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

12 कृषि क्षेत्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Agriculture Sector and Food Processing Industry)

परिचय (Introduction)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किये जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, लेकिन इसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है।

भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्त्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और 4.2 प्रतिशत पानी से हम विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने में कामयाब हैं। आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्व *(Importance of Agriculture in Indian Economy)*

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 50 प्रतिशत था। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 275.1 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर 285 मिलियन टन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 295.67 मिलियन टन हो गया है। अत: वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों तथा चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।

गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका

भारत में कृषि आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोज़गार अवसरों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों के तुलना में सबसे ज्यादा है। लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिये मुख्यत: कृषि पर निर्भर हैं, इसमें 82 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं।

पूंजी निर्माण में सहयोग

भारत में पूंजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर-कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान है। गैर-कृषि उत्पादों की मांग के महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करती है। कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मंदी से औद्योगिक क्षेत्र में भी (कृषि क्षेत्र में निम्न मांग के रूप में) मंदी उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

13 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र (Industry and Service Sector)

परिचय (Introduction)

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर नए रोज़गार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है।

भारत की सतत आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिये अवसंरचना की सुगठित सुविधाओं की सहायता से उच्च दर पर औद्योगिक संवृद्धि का महत्त्व बहुत ही निर्णायक है। निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है और वर्ष 2018–19 में सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में इसका 29.6 प्रतिशत का योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में कुल जीवीए (GVA) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 28.3 प्रतिशत रहा है। मज़बूत और सुदृढ़ औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोज़गार के संवर्द्धन में सहायता करता है और ये सभी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिये उत्प्रेरक हो सकते हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के निर्धारण में उद्योग एक निणार्यक भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में वर्ष 2017-18 की तुलना में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किये गए सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में वर्ष 2018-19 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र है। जिसने वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

स्थिर कीमतों पर उद्योगों में सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवीए में हिस्सा	2017-2018	2018-2019 (PE)	2019-20		2019-20 (1st AE)
				Q1	Q2	
खनन एवं उत्खन्न	2.4	5.1	1.3	2.7	0.1	1.5
विनिर्माण	16.4	5.9	6.9	0.6	–1.0	2.0
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.8	8.6	7.0	8.6	3.6	5.4
निर्माण	8.0	5.6	8.7	5.7	3.3	3.2
उद्योग	29.6	5.9	6.9	2.7	0.5	2.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)
टिप्पणी: * जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों (2018-19) पर है AE-अग्रिम अनुमान, PE-अनंतिम अनुमान

सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) में क्षेत्रीय अंश (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2009-10 से 2013-14	2014-15 से 2018-19	2018-2019	2019-20 H1
उद्योग	**32.3**	**29.6**	**29.6**	**28.3**
खनन एवं उत्खन्न	3.2	2.4	2.4	2.1
विनिर्माण	17.5	16.6	16.4	15.4
विद्युत गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.4	2.6	2.8	2.9
निर्माण	9.2	8.0	8.0	8.0

औद्योगिक विकास का महत्त्व
(Importance of Industrial Growth)

- उद्योग आर्थिक संवृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होता है।
- उद्योग रोज़गार के नए-नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं।
- उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्द्धन करके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करते हैं। कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वर्द्धन अधिक होता है।
- उद्योग विकास प्रक्रिया में गत्यात्मकता प्रदान करते हैं। औद्योगीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है।
- उद्योग आधारिक संरचना विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। औद्योगिक विकास एवं आधारिक संरचना का विकास आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- उद्योग कृषि के यंत्रीकृत साधन (मशीनें- ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर) उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि के यंत्रीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।

14 बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति (Banking, Financial System and Inflation)

वित्तीय बाज़ार (Financial Market)

वित्तीय बाज़ार एक व्यापक बाज़ार है, जहाँ पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों, जैसे-मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय-विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाज़ार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाज़ार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वित्तीय बाज़ार के दो प्रमुख अंग होते हैं-

1. मुद्रा बाज़ार (Money Market)
2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)

मुद्रा बाज़ार *(Money Market)*

'मुद्रा बाज़ार' एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतया एक वर्ष की अवधि) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाज़ार को दो भागों में बाँटा जा सकता है-1. संगठित/औपचारिक मुद्रा बाज़ार, 2. असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाज़ार।

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है एवं बैंकों के संचालन के लिये नियम-विनियम बनाता है, महत्त्वपूर्ण ब्याज़ दरों का निर्धारण कर मुद्रा के प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाज़ार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाज़ार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चेट्टी इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

पूंजी बाज़ार *(Capital Market)*

'पूंजी बाज़ार' से आशय ऐसे वित्तीय बाज़ार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी बाज़ार को दो बाज़ारों में बाँटा जाता है- 1. प्राथमिक पूंजी बाज़ार, 2. द्वितीयक पूंजी बाज़ार।

मुद्रा (Money)

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके ज़रिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात् कागज़ के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्राँसिस ए. वॉकर के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" ("Money is what money does".)

मुद्रा के कार्य *(Functions of Money)*

- **मूल्य का मापक:** मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।
- **विनिमय का माध्यम:** मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।
- **स्थगित भुगतानों की माप:** मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज़ आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहता है और यह अन्य वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिये मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है।
- **मूल्य का संचय:** मूल्य के संचय का अर्थ है- धन का संचय। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता

15 राजकोषीय नीति एवं कर संरचना (Fiscal Policy and Tax Structure)

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

राजकोषीय नीति के घटक

- सरकार का बजट
- कर संरचना
- विभिन्न प्रकार के घाटे

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

बजट (Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920–21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है।

नोट: बजट 2017–18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि 2017–18 के बजट के पहले तक रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव करके 1 फरवरी कर दिया गया, इससे पूर्व 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था।

- भारत में पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं-
  - आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
  - चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

16 केंद्र सरकार की योजनाएँ (Schemes of Central Government)

केंद्रीय सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य (Definitions and Facts Related to Central Government Schemes)

- अक्तूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं-
  1. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
  2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यत: साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है।
  - **कोर योजनाएँ:** इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
  - **कोर ऑफ कोर योजनाएँ:** वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
  - **वैकल्पिक योजनाएँ:** इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
  - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में 80:20 में लागत साझा करेंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2018-19 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं-
  1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम - मनरेगा
  3. अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  4. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  6. अन्य कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
- कोर योजनाओं में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति इत्यादि योजनाएँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना *(PM SVANidhi Scheme)*

उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में गली-मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को

खंड C

विश्व की अर्थव्यवस्था

17 भारत का वैदेशिक क्षेत्र (External Sector of India)

परिचय (Introduction)

- भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भुगतान शेष की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्थिरता प्राप्त हुई है। भारत का विदेशी रिज़र्व 10 जनवरी, 2020 को 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भुगतान संतुलन (बीओपी) में यह सुधार चालू खाता घाटा (सीएडी) के सीमित होने के कारण वर्ष 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया है।
- निर्यात वृद्धि सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, आउट पुट में मंदी तथा अत्यधिक व्यापार तनाव के कारण बाह्य मांग में कमी होने से कमज़ोर बनी हुई है। सेवा आयात में वृद्धि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में बढ़ोतरी तथा 'मेक इन इंडिया' के कारण अपरिहार्य है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जैविक मदें, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुएँ निर्यातित वस्तुओं में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जिनमें से औषधीय फॉर्मूलों एवं जैविक मदों के संबंध में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे तेज़ वृद्धि देखी गई है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और काष्ठ कोयला (Coal and Briquittes) शीर्षस्थ आयातित वस्तु-समूह में हैं और वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में सबसे तेज़ वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूएई, सउदी अरब और हॉन्गकॉन्ग भारत के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। साथ ही भुगतान संतुलन में सुधार के लिये वैदेशिक वित्तीय दशाओं में राहत, एफडीआई में प्रभावी वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों की पुनः सुदृढ़ता तथा धनप्रेषणों की बड़ी प्राप्तियों का भी योगदान है।
- वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह भी उत्साहवर्धक रहे हैं जिनसे प्रथम आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। यह वैश्विक स्तर पर उस भावना को परिलक्षित करता है कि भारत की विकास गाथा और सरकार द्वारा किये गए सुधारात्मक उपायों पर भरोसा बढ़ा है। सितंबर 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण, जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जीडीपी अनुपात की दृष्टि से भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 से ही काफी गिरावट देखने के बाद जून 2019 के अंत में जीडीपी के संदर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में वृद्धि हुई है जिसके लिये मुख्य कारकों के रूप में एफडीआई में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और वैदेशिक वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत के भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति (India's Balance of Payments Progress)

- वर्ष 2014-19 की अवधि में 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लगभग साथ-साथ, भारत की 'भुगतान शेष' स्थिति में भी सुधार हुआ है। यह सुधार वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक संचित विदेशी रिज़र्व के 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के कारण हुआ है, जोकि वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक केवल 304.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत जैसी खुली व बढ़ती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिये 'भुगतान-संतुलन' की स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह कच्चे तेल और इस तरह के अन्य आदानों के लिये आवश्यक आयातों के वित्तपोषण को सुनिश्चित करता है तथा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है, जो देश के करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
- बीओपी की स्थिति में लगातार सुधार होना एक ऐसी वैश्विक भावना का प्रतिबिंब है जो भारत की विकास गाथा में विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह विश्वास देश को उस वक्त अच्छी गति प्रदान करेगा जब यह यू.एस. की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिये निवेश संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी बचतों के प्रयोग में वृद्धि करने के बारे में सोचेगा।
- वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि में काफी गिरावट के बावजूद वैश्विक भावना सकारात्मक ही रही है। इसके साथ ही भुगतान शेष में सुधार हुआ है। मार्च-2019 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर-2019 में बढ़कर 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 10 जनवरी, 2020 को 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। किंतु अभी भी इस सुधार में भेद्यता का अंतर्भाव बना हुआ है।

भुगतान संतुलन खाता (Balance of Payment Account)

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है- एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे- स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे- प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, *"एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए*

- इससे मझोले कारोबारियों को फायदा होगा एवं उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे;
- देश के संगठित रिटेल के विस्तार में मदद मिलेगी और आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में निवेश होगा;
- उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की शृंखला खत्म होगी, लोगों को उचित दर पर सामान उपलब्ध होगा और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा।

मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI से संभावित समस्याएँ

- करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन से जुड़े इस असंगठित क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और रोज़गार में कमी आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी की समस्या भी बढ़ सकती है।
- देश में इस समय लगभग 95 प्रतिशत खुदरा व्यापारी असंगठित क्षेत्र में हैं। हर गली-मुहल्ले में खुदरा व्यापार करके लगभग 15 करोड़ लोग अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश से इनका रोज़गार छिनने का खतरा है।
- इससे न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि किसानों के हित भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियाँ किसानों की भूमि पट्टे पर लेकर अपने ढंग से मनमानी खेती करवाएंगी।

क्षेत्रीय व्यापार समझौते (Regional Trade Agreements–RTAs)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, "क्षेत्रीय व्यापार समझौते दो या दो से अधिक भागीदारों के बीच पारस्परिक व्यापार समझौतों के रूप में परिभाषित किये जाते हैं।"

क्षेत्रीय व्यापार समझौते के मुख्यत: निम्नलिखित प्रकार होते हैं–

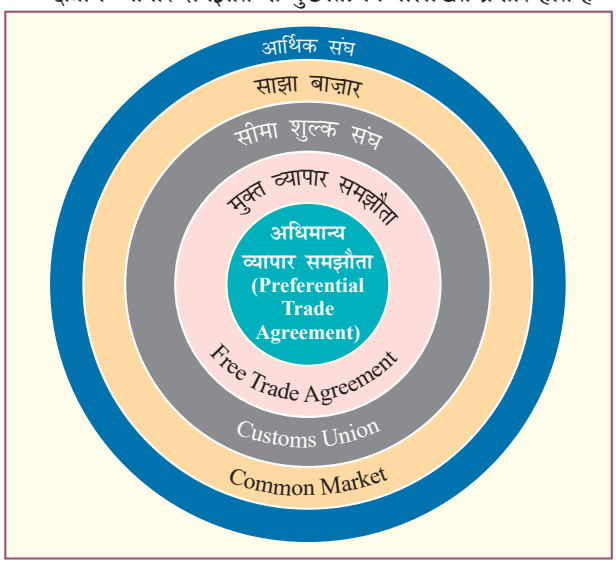

अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement)

यह राष्ट्रों के बीच एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें समझौते को स्वीकार करने वाले देशों को निश्चित उत्पादों हेतु प्रशुल्कों में कटौती की जाती है। इसके तहत सदस्य देश संघ में उत्पादित सामग्रियों पर निम्न व्यापार बाधाओं का प्रयोग करते हैं। उत्पादों की वह सूची जिस पर सदस्य देश प्रशुल्कों में कटौती हेतु सहमति प्रदान करते हैं, उसे सकारात्मक सूची कहते हैं। यह संघ में शामिल सभी सदस्य देशों को व्यापार बाधाओं में लचीलापन प्रदान करता है।

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement)

इस व्यापार समझौते के तहत मुख्यत: सदस्य देशों में उत्पादित वस्तुओं पर से प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क बाधाओं सहित सभी व्यापार बाधाएँ समाप्त कर दी जाती हैं; किंतु ज़्यादातर समझौतों में संवेदनशील वस्तुओं की सूची को अलग रखा जाता है। इस समझौते के तहत सामान्यत: वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है।

सीमा शुल्क संघ (Customs Union)

एक सीमा शुल्क संघ के सदस्य (एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के विपरीत) आमतौर पर गैर-सदस्य देशों से आयात पर एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क (Common External Tariff) अधिरोपित करते हैं, जबकि सदस्य देशों के मध्य शुल्क मुक्त व्यापार का निर्णय लेते हैं। इसमें सामान्यत: सदस्य देशों के मध्य पूंजी और श्रम का मुक्त संचलन नहीं होता है।

साझा बाज़ार (Common Market)

इसके अंतर्गत सदस्य देश अपने बीच कुछ संस्थात्मक प्रावधानों, वाणिज्यिक एवं वित्तीय कानूनों तथा नियमनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन कारकों का मुक्त प्रवाह होता है। श्रम एवं पूंजी के मुक्त प्रवाह से भी नियंत्रण समाप्त किया जा सकता है। यूरोपियन साझा बाज़ार इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

आर्थिक संघ (Economic Union)

आर्थिक संघ एक साझा बाज़ार है जो राजकोषीय/मौद्रिक नीतियों के और अधिक समन्वय तथा साझे कार्यकारी, न्यायिक और विधायी संस्थाओं के माध्यम से विस्तारित है। आर्थिक संघ में सदस्य देश सामान्य नीतियों और नियमनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा संसाधनों के मुक्त संचलन की अनुमति प्रदान करते हैं। वे एकल मुद्रा भी अपना सकते हैं। यूरोपियन यूनियन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार) *[General Anti Avoidance Rule–GAAR]*

यह कर चोरी और कालेधन पर रोक लगाने के लिये बनाए गए प्रावधानों का एक समूह है जिसके तहत विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किये जा रहे निवेश या समझौतों को कर दायरे में लाया जा सके। करारोपण की कमियों को दूर करके कर राजस्व में वृद्धि करना, कर चोरी करने वालों का पता लगाना तथा उन सौदों या आय को कर दायरे में लाना, जिनको कर भुगतान से बचने के लिये किया गया हो, आदि GAAR के मुख्य उद्देश्य हैं।

- GAAR का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2012-13 में तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा बजट भाषण में किया गया था। विदेशी निवेशकों की आशंकाओं के चलते GAAR के प्रावधानों पर विचार करने हेतु पार्थ सारथी शोम समिति गठित की गई। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1 अप्रैल, 2017 से GAAR को लागू किया गया। GAAR संबंधी प्रावधान मूल्यांकन वर्ष 2018-19 यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी हैं।

आयात में कच्चे तेल का अंश भी बढ़ता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के साथ आयात के अनुपात में वृद्धि होती है।

- सोने के आयात का आयात बास्केट में महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो भारत के कुल आयात का सोने की कीमतों से संबंध स्थापित करता है। जबकि व्यापक रूप में पिछली दो पंचवर्षीय अवधियों, 2009-14 एवं 2014-19, के लिये यह सच है कि यह अंश सोने की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद 2018-19 एवं 2019-20 की पहली छमाही के बीच स्थिर रहा है, ऐसा शायद आयात शुल्क में वृद्धि होने से हुआ है जिससे सोने का आयात कम हुआ है।
- हालाँकि, जीडीपी में पण्य आयात की गिरावट का बीओपी स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जीडीपी वृद्धि में गिरावट को भी दर्शाता है। गैर पीओएल -गैर स्वर्ण आयात निश्चित रूप से जीडीपी वृद्धि से जुड़ा है। यद्यपि दो अवधियों के बीच जब जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी हुई तब 2009-14 से लेकर 2014-19 की जीडीपी के अनुपात में गैर-पीओएल, गैर-तेल आयात गिरा। ऐसा खपत में वृद्धि के कारण हो सकता है, जबकि गैर-पीओएल एवं गैर-स्वर्ण आयात दर कम होने का कारण निवेश दर में गिरावट हुई है। निवेश दर में होने वाली सतत गिरावट से जीडीपी वृद्धि में कमी आई है, उपभोग कम हुआ है, निवेश परिप्रेक्ष्य (आउटलुक) मंद हो गया है, जिससे आगे चलकर वर्ष 2018-19 से 2019-20 के मध्य में जीडीपी के अनुपात के रूप में गैर-पीओएल, गैर-स्वर्ण आयात के साथ जीडीपी वृद्धि में कमी आई है।
- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के आयात बास्केट में, कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था, इसके बाद सोना एवं पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। यद्यपि वर्ष 2011-12 एवं 2019-20 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात नगण्य शेयर से तेज़ी से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया।

आयातों की पण्यवार रचना (प्रतिशत में शेयर द्वारा)

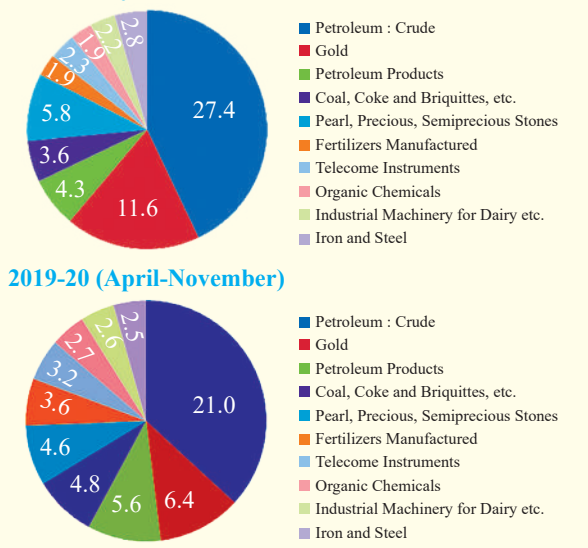

स्रोत: वाणिज्य विभाग

- चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एवं सऊदी अरब आते हैं। हाल ही में हॉन्गकॉन्ग, कोरिया एवं सिंगापुर भी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण आयात स्रोत के रूप में उभरे हैं।

2011-12 एवं 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के 10 शीर्ष आयात उद्गम (प्रतिशत में शेयर द्वारा)

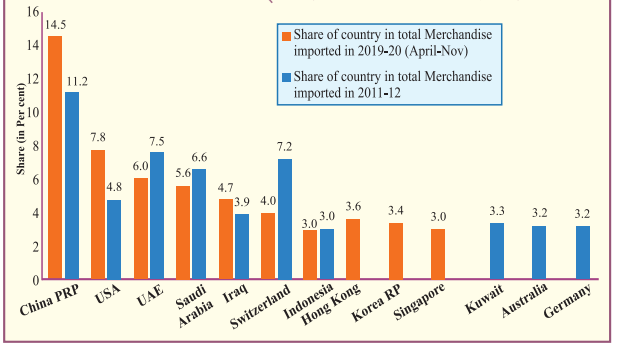

स्रोत: वाणिज्य विभाग

निवल सेवाएँ *(Net Services)*

- सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर निवल सेवाएँ बीओपी पर सेवा निर्यात और आयात के निवल प्रभाव को दर्शाती हैं। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत की निवल सेवा अधिशेष में धीरे-धीरे ह्रास हो रहा है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल सेवाएँ			
2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
3.3	3.2	3.1	2.9

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

निवल सेवा जीडीपी अनुपात के रूप में

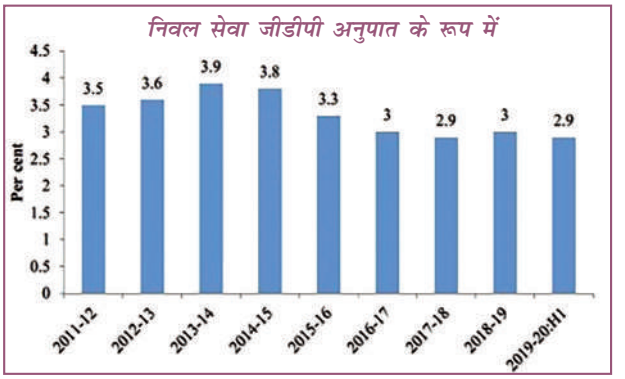

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

- निवल सेवाओं से अधिशेष व्यापार घाटे का महत्त्वपूर्ण रूप में वित्तपोषण कर रहा है। विगत कुछ वर्षों में आधे से कम रह जाने से पूर्व 2016-17 में व्यापार घाटे के लगभग दो-तिहाई तक वित्तपोषण इससे हो रहा था। सकल घरेलू उत्पाद में निवल सेवाओं की धीमी गिरावट होने से वित्तपोषण उस समय तक धीरे-धीरे गिरता जाएगा जब तक कि जीडीपी के संबंध में पण्य वस्तु घाटे में सुधार न आ जाए।

18 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते
(International Economic Organizations, Groups and Agreements)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (International Monetary Fund–IMF) की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैंपशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक समूह की महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (Bretton Woods Twins) के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया (190वाँ) देश है।
- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट (Camille Gutt) थे।

नोट: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने IMF में क्रिस्टिन लगार्ड की जगह ली है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज़िम्मेदारियाँ *(Responsibilities of IMF)*

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना;
- सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना;
- सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना;
- सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना;
- बहुपक्षीय भुगतानों (Multilateral Payments) की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना;
- धन शोधन (Money Laundering) तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना;
- विश्व में गरीबी को कम करने के लिये प्रयास करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना *(Administrative Structure of IMF)*

- गवर्नर मंडल (Board of Governors) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोष के गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। इसके साथ ही प्रत्येक देश द्वारा कोष के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, जो गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर मंडल की बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु सामान्यतः वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने हेतु गठित 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) की बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। पहली बैठक 'बसंत बैठक' (Spring Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक 'वार्षिक बैठक' (Annual Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः प्रति वर्ष सितंबर-अक्तूबर माह में आयोजित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल (Executive Board) के पक्ष में प्रत्यायोजित (Delegate) कर दिया है, लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी तथा समझौते के अनुच्छेदों (Articles of Agreement) एवं उपविधि (By-laws) में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्नर मंडल के पास हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी मंडल इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल में सभी 189 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिये सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को दो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है-
  - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee–IMFC)
  - विकास समिति (Development Committee)

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

प्रिलिम्स + मेन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course

General Studies

Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course

सामान्य अध्ययन

केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'क्विक बुक सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 दैनिक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (मॉडल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course

बिहार PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course

राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या वाट्सएप करें

विज़िट करें www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-947225-5-7

मूल्य : ₹ 380